दिनांक 27.12.2022 को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की 400वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति

1.	श्री संदीप पौण्डरीक	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग –सह– अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	अध्यक्ष
2.	श्री पंकज दीक्षित	उद्योग निदेशक	सदस्य
3.	श्री दिलीप कुमार	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
4.	श्री राजीव रंजन	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
5.	श्री विवेक रंजन मैत्रेय	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम	विशेष आमंत्रित सदस्य

क्र०	बैठक में रखे गये प्रस्ताव	बोर्ड का निर्णय
1.	सामान्य निर्देश	1. बोर्ड की पुनर्सरचना हेतु उद्योग विभाग से अनुरोध किया जाए और निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम को भी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का सदस्य बनाया जाए। 2. श्री दिलीप कुमार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहने तक बोर्ड की वित्तीय शक्तियाँ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को देने संबंधी प्रस्ताव अगली बैठक में लाया जाए। 3. बोर्ड की नियमावली के आलोक में बोर्ड की बैठक प्रति माह आयोजित होनी चाहिए। लेकिन यह 18 महीने के बाद आयोजित हो रही है। नियमावली के अनुसार बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। 4. खादी के प्रचार–प्रसार के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग का प्रचार किया जाए। 5. केन्द्र सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत कॉमन फैसिलिटी सेन्टर के निर्माण का प्रस्ताव हैण्डलूम एवं रेशम निदेशालय के माध्यम से भेजा जाए। 6. खादी एवं ग्रामोद्योग के समग्र विकास के लिए बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग विकास योजना का ड्राफ्ट बनाकर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।
2.	ग्रामीण उत्पादकों द्वारा इकट्ठा किये गये मधु की प्रोसेसिंग के लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंध संस्थाओं की जमीन पर मधु प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना का प्रस्ताव। साथ ही बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की भूमि तथा बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में जमीन	मधुमक्खी पालन –सह– मधु प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा सकती है। लेकिन प्लांट की स्थापना से पहले उसके संचालन के संबंध में Guidelines बनाना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

	लेकर मधु प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना तथा संबंध संस्थाओं द्वारा उनका संचालन।	
3.	ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण हेतु 50 ट्रेड का चयन। प्रशिक्षण कार्यक्रम पंजीकृत संस्थाओं तथा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित किये जाऐंगे।	1. ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण के लिए उद्योगों को चिन्हित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार से संचालित किया जाए कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों। एक ही व्यक्ति को बार–बार प्रशिक्षण नहीं दिया जाए। जिन ट्रेड का चयन किया जाए, उनकी मांग का सर्वे भी जरूरी है। पहले संचालित किये गये प्रशिक्षण सत्रों के फलाफल का मूल्यांकन आवश्यक है। ताकि यह जानकारी हो सके कि जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, वह स्वरोजगार कर रहे हैं अथवा नहीं। 2. ट्रेनिंग का मॉड्यूल वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल हो। 3. जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए उन्हें पी.एम.ई.जी.पी. / पी.एम.एफ.एम.ई. के तहत वित्तीय सहायता दिलाकर उद्यमी बनाया जाए। 4. उपरोक्त के अनुसार कार्रवाई कर अगली बैठक में रखा जाए।
4.	महालेखाकार / लेखा परीक्षा द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि के लेखों के अंकेक्षण के प्रस्ताव पर अनुमोदन।	आंतरिक वित्तीय सलाहकार और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आपस में विमर्श करके निर्णय लें।
5.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यरत 07 सलाहकारों के वेतन का भुगतान आकस्मिक मद की जगह पी.एम.ए. शीर्ष से करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।	बोर्ड में कार्यरत सलाहकारों के वेतन के भुगतान हेतु आकस्मिक मद में पुनर्विनियोग करके राशि का प्रबंध किया जाए।
6.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की पूरे राज्य में जितनी भी जमीनें हैं, उन जमीनों का जिला बंदोवस्त पदाधिकारी के साथ मिल कर भौतिक सर्वेक्षण और वहाँ पर नई गतिविधि प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावों का निर्माण।	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की सभी जमीन का भौतिक सत्यापन करते हुए बॉन्ड्रीवॉल का निर्माण किया जाए।
7.	बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बिहार खादी के आउटलेट की व्यवस्था हेतु भारतीय रेल से सम्पर्क करने का प्रस्ताव, निर्माण की प्रक्रिया और राशि आवंटन।	बिहार खादी, हैण्डलूम और हैण्डीक्राफ्ट के आउटलेट रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डे पर खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी जाती है। रेलवे और एयरपोर्ट से बात करके प्रस्ताव तैयार किये जाए।
8.	देश के 5 हवाई अड्डों पर बिहार खादी के बिक्री केन्द्र का प्रावधान।	
9.	अनुमोदित विभागीय मेला कैलेण्डर के अनुसार तिथि में परिवर्तन करते हुए 31 मार्च 2023 तक मुजफ्फरपुर, पूर्णियां,	प्रत्येक माह में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से एक मेला लगाया जाए।

Scanned with CamScanner

	सिवान, आरा, दरभंगा, सहरसा, भभुआ, भागलपुर में खादी मेला का आयोजन।	
10.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सरकार के पास 30 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव भेजने हेतु सहमति।	खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रचार–प्रसार और उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान बनाकर सरकार के पास भेजा जाए।
11.	1. खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिए नई खादी नीति का निर्माण। 2. खादी पुनर्रुद्धार योजना का अगले पाँच वर्षों के लिए नवीनीकरण। 3. ग्रामोद्योग योजना के तहत इकाइयों को कार्यशील पूँजी का वितरण।	एक्शन प्लान बनाकर सरकार के पास भेजा जाए।
12	खादी मॉल के लिए 3 करोड़ रुपये के रिवॉलविंग फंड हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजना।	खादी मॉल के रिवॉलविंग फंड हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि का पुनर्विनियोग करते हुए रिवॉलविंग फंड बनाने पर उद्योग विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए। यदि इस वर्ष राशि कम पड़ती है तो अगले वर्ष शेष राशि का प्रबंध किया जाए।
13.	पंजीकृत संस्थाओं को वस्त्र निर्माण हेतु स्टीचिंग यूनिट की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना/ खादी बोर्ड की स्वयं की योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये तक की सहायता (5 लाख रुपये ऋण के रूप में और 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में)।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पंजीकृत संस्थाओं के कार्यस्थल का भ्रमण करके योजना तैयार करें और उसका अनुमोदन कराएँ।
14.	1. बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंधित संस्थाओं से जुड़े लोगों को पी.एम.एफ.एम.ई. कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सदस्य 40 हजार रुपये की कार्यशील पूँजी की सहायता का प्रस्ताव। 2. पी.एम.एफ.एम.ई. कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंधित संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सहायता का प्रस्ताव।	पी.एम.एफ.एम.ई. के तहत कार्यशील पूँजी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग संबंधी प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय को भेजा जाए।

ह0/–
प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
पटना।

ज्ञापांक :– 747 पटना, दिनांक :– 03-01-2023

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/23

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
पटना।

Scanned with CamScanner